P.L issued

आज़ादी का अमृत महोत्सव

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

No.2022/Safety(DM)/AFSAPolicy **New Delhi, dtd. 26.10.2022**

General Manager
All Zonal Railways

Sub: Accident Free Service Award to the eligible category.

Ref: Board's letter No.86/Safety-I/24/35 dated 6.7.1998, 2.5.2000, 22.5.2007, 11.09.2007, Letter No.2016/Safety-I/9/3 dated 19.03.2018, 01.06.2018 and Letter No.2018/Safety(DM)/18/1 dated 22.05.2018, 11.11.2019 to all the Indian Railways

As per Board's letter No. 86/Safety-I/24/35 dated 06.07.1998 read with letterNo. 2018/Safety(DM)/18/1 dated 22.05.2018 Drivers / Motorman / Pointsmen / Cabinmen / Switchmen and ASMs / SMs / Dy.SS / SS (performing train passing duties) are the safety categories eligible for Accident Free Service Award at the time of retirement. Other terms and conditions regulating grant of Award are laid down in letters under reference.

2. Representations have been received from some retired employees complaining that Accident Free Service Award has not been paid to them though they had worked in the eligible safety categories before being promoted / posted to non-eligible categories such as Traffic Inspector / Controller / Power Controller / Group-B post etc.

3. Position has already been clarified in this regard to some specific Zonal Railways inresponse to their queries. Accordingly, it is clarified to other Railways also that as per instructions contained in Board's letter dated 06.07.1998, staff of specified categories are eligible for grant of above award at the time of retirement based on the period of qualifying service rendered in eligible Safety categories irrespective of the post held by such staff at the time of retirement. Further, the Accident Free Service Award is required to be worked out based on the last basic pay drawn in the eligible category. Various other terms and conditions as in force will continue to apply.

This issues in consultation with Finance directorate of Railway Board.

O/C

(K.P. Yadav)
Exec. Director/Safety-II
Railway Board

Copy to: PCSOs/All Zonal Railways.
Director/Admn., Railway Board

27/10/22

https://www.staffnews.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2022/ सेफ्टी (डीएम)/एएफएसए पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2022

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: पात्र कोटि को दुर्घटना मुक्त सेवा अवार्ड।

संदर्भ: सभी भारतीय रेलों को संबोधित बोर्ड के दिनांक 6.7.1988, 2.5.2000, 22.5.2007, 11.09.2007 के पत्र सं. 86/सेफ्टी-I/24/35, दिनांक 19.03.2018, 01.06.2018 का पत्र सं. 2016/सेफ्टी-I/9/3 और दिनांक 22.05.2018, 11.11.2019 का पत्र सं. 2018/सेफ्टी(डीएम)/18/1.

बोर्ड के दिनांक 22.05.2018 के पत्र सं. 2018/सेफ्टी(डीएम)/18/1 के साथ पठित दिनांक 06.07.1998 के पत्र सं. 86/सेफ्टी-I/24/35 के अनुसार ड्राईवर/ मोटरमेन/ पॉइंट्समेन/ कैबिनमेन/ स्विचमेन और एएसएम/एसएम/उप एसएस/एसएस (जो ट्रेन पासिंग ड्यूटी कर रहे हैं) वह संरक्षा कोटियाँ हैं जो सेवानिवृत्ति के समय दुर्घटना मुक्त सेवा अवार्ड के लिए पात्र हैं। अवार्ड प्रदान करने को नियमित करने वाले अन्य नियम एवं शर्त संदर्भाधीन पत्रों में निर्धारित हैं।

2. कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह शिकायत की गई है कि उन्हें दुर्घटना मुक्त सेवा अवार्ड प्रदान नहीं किया गया है हालांकि उन्होंने यातायात निरीक्षक/ नियंत्रक/ पावर नियंत्रक/ ग्रुप बी पद आदि जैसी अपात्र कोटियों में पदोन्नति / तैनाती से पहले पात्र संरक्षा कोटियों में कार्य किया है।

3. इस संबंध में कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय रेलों को उनके प्रश्नों के प्रत्युत्तर में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तदनुसार, अन्य रेलों को भी यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 06.07.1998 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर ध्यान दिये बिना पात्र संरक्षा कोटियों में की गई अर्हक सेवा अवधि के आधार पर सेवानिवृत्ति के समय विशिष्ट कोटियों के कर्मचारी उक्त अवार्ड के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, दुर्घटना मुक्त सेवा अवार्ड पात्र कोटि में लिए गए अंतिम मूल वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अन्य विभिन्न लागू नियम एवं शर्तें जारी रहेंगे।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के साथ परामर्श से जारी किया जा रहा है।

(के.पी. यादव)
कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: पीसीएसओ/सभी क्षेत्रीय रेलें,
निदेशक/प्रशासन, रेलवे बोर्ड

https://www.staffnews.in